



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय  
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249 199  
Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalaya  
Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand-249 199

Mo.: 9412076505  
Tel.: 01376 - 254065 (O)  
Fax : 01376 - 254065  
Website: www.sdsuv.ac.in

Ref. No.: 1521 /SDSUV/DRO/2014-15

Dated : 18/03/2015.

कार्यालय आदेश

विषय:- श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण एवं सीट वृद्धि के प्रस्तावों हेतु समय का निर्धारण।

मा0 कुलपति महोदय के आदेश पर अवगत कराना है कि वर्तमान में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल से सम्बद्ध विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा पारस्परिक एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र हेतु इन शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं, जिनके कारण शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् भी कतिपय संस्थानों के पाठ्यक्रमों को अस्थायी सम्बद्धता, सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त नहीं हो पाता है। जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय एवं अध्ययनरत् छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शैक्षिक गतिविधियों को सम्बद्धता प्रदान करने तथा शैक्षिक सत्र के सुचारु संचार हेतु अस्थायी सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण के लिए निम्न समय अवधि निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- संस्थानों द्वारा अस्थायी सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण एवं सीट वृद्धि के प्रस्ताव/आवेदनों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक विश्वविद्यालय में जमा कर दिये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव/आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों को विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त सभी प्रारम्भ औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले आवेदकों के आवेदनों पर 15 अप्रैल तक प्रत्येक संस्थान हेतु निरीक्षण मण्डल गठित कर लिया जायेगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा सम्बन्धित संस्थानों का मानकानुसार निरीक्षण करते हुये निरीक्षण आख्या में अपनी स्पष्ट संस्तुति एवं पदनाम, हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में 15 मई तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा दी जायेगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण से सम्बन्धित प्रस्तावों को निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना तथा समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्तुति के साथ प्रत्येक दशा में 31 मई तक शासन को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
- शासन स्तर पर विलम्बतम 30 जून या शासन स्तर पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्तावों का सम्यक् परीक्षण करने के उपरान्त माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिये जाने हेतु प्रस्तावित है।
- शासन की संस्तुति के उपरान्त माननीय कुलाधिपति कार्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्तावों पर निर्णय विलम्बतम 31 जुलाई या माननीय कुलाधिपति सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि तक लिया जाना प्रस्तावित है।

अतः समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि आप उक्तानुसार तिथियों तक अपनी सम्पूर्ण पत्रावलियां विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा विलम्ब से प्राप्त पत्रावलियों की जवाबदेही स्वयं उक्त संस्थान की होगी।

कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सचिव, मा0 श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, देहरादून।
2. सचिव महोदय, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
5. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव।

Rachna